रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

RVNL/SECY/STEX/AGM-20/2023 **03.09.2023**

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. **Scrip: RVNL**	**BSE Ltd.** Department of Corporate Service, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001. **Scrip: 542649**

Sub: Publication of Notice in Newspaper regarding 20th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Copy of the Notice of 20th Annual General Meeting of Rail Vikas Nigam Limited scheduled to be held on Wednesday, 27th September, 2023, as published in Newspapers (English & Hindi).

This is for your information and record please

Thanking you,

Yours faithfully,
For Rail Vikas Nigam Limited

KALPANA DUBEY
Digitally signed by KALPANA DUBEY
Date: 2023.09.03 11:54:13 +05'30'

(Kalpana Dubey)
Company Secretary & Compliance Officer

CRUDE WATCH

OIL RISES TO HIGHEST IN 7MONTHS

Oil prices rose on Friday to their highest in over half a year and snapped a two-week losing streak, buoyed by expectations of tightening supplies. REUTERS

LPG price cut, Ujjwala expansion could cost over ₹37k cr annually

SUKALP SHARMA & AANCHAL MAGAZINE
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

THE GOVERNMENT'S decision to slash domestic cooking gas prices by Rs 200 per 14.2-kg cylinder and expand the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) by adding 75 lakh poor households to its beneficiary base could cost upwards of Rs 37,000 crore on an annualised basis, an analysis of liquefied petroleum gas (LPG) consumer base and average gas refill data suggests. For the computations, it is assumed that the LPG cylinder refill rates will stay at the levels recorded for 2022-23 (FY23) and fuel retailers will continue to sell LPG to households at a price that is Rs 200 lower than what they would have charged for a cylinder had the price cut not been announced.

On its part, the government has not provided any estimate of the cost of the twin decisions. Speaking on condition of anonymity, a senior official in the finance ministry said that the actual cost could be somewhat "lower" than this estimate as there are a number of variables in the equation. These include possible over recoveries on LPG sales by fuel retailers, movement in international crude and LPG prices going ahead, and currency fluctuations. The official, however, did not provide any estimation of what the actual cost might be.

The government on Tuesday announced the price cut, which was implemented by public sector oil marketing companies (OMCs) on Wednesday. While the government has so far not officially clarified whether or not it plans to foot the bill for this price reduction, which will benefit over 31 crore domestic LPG consumers in the country, the finance ministry official quoted above said that OMCs will bear the impact of the price cut. The official, however, clarified that the government will cover the Ujjwala subsidy of Rs 200 for the 75 lakh new beneficiaries, as is the case for existing beneficiaries under the scheme. For Ujjwala beneficiaries, the price cut is over and above the subsidy, which implies that they will get a cumulative relief of Rs 400 per cylinder.

India has a total of 31.4 crore domestic LPG consumers, according to latest available data with the petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC) of the oil ministry. Of the total consumer base, 9.6 crore are poor households under the Ujjwala scheme, which leaves the total non-Ujjwala consumer base at 21.8 crore. As per government data, the average LPG refill rate for Ujjwala beneficiaries was 3.71 cylinders for FY23 in terms of 14.2-kg cylinders, while for non-Ujjwala consumers, it was 6.65 cylinders. This takes the total domestic LPG consumption to 180.6 crore cylinders per annum, going by FY23 data. Assuming the Rs 200-per-cylinder cut stays in place for a year, the impact of the price reduction alone works out to Rs 36,117 crore. This means that if the government does not compensate the companies for price cut, which has been termed as its gift to the consumers, the cumulative annualised revenue forgone by the OMC would be over Rs 36,000 crore. Additionally, for the 75 lakh new connections that are set to be given under the Ujjwala scheme, the annualised cost of benefits is estimated to be Rs 1,113 crore, going by the average refill rate and the benefit of Rs 400--Rs 200 each on account of the price cut and government subsidy--per household. This takes the total cost of the two announcements to around Rs 37,230 crore for a year.

An e-mail sent to the petroleum ministry seeking clarity on the cost estimates and whether the government is mulling compensating the OMCs later did not elicit a response till press time.

The government stopped providing LPG subsidy in the early months of the 2020-21 fiscal, when global oil and fuel prices had crashed. Later, subsidy was brought back, but only for poor households covered under the Ujjwala scheme. The government currently provides a subsidy of Rs 200 per cylinder to Ujjwala beneficiaries by way of direct bank transfers for up to 12 refills per year. Even as the government was not giving subsidy to non-Ujjwala consumers, it did provide a one-time grant of Rs 22,000 crore to the three OMCs last year to compensate them for selling LPG at a loss for the previous two years, which had resulted in accumulated losses of Rs 28,000 crore.

The grant came at a time when the OMCs were grappling with significant losses, particularly in the fuel retail segment. However, the companies have now largely recovered from last year's losses and industry insiders do not expect the government to be as eager to help the companies through a special financial grant.

In interviews to television news channels following the decision, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri alluded to the strong earnings performance of the OMCs in the April-June quarter as well as expectations of robust financial health in July-September as well, suggesting that the companies are well-positioned financially to absorb the impact of the LPG price cut. Puri reiterated his view that the OMCs have behaved as good and responsible corporate citizens by keeping fuel prices reasonable and affordable for the Indian consumer at a time when energy prices had shot up globally due to extreme volatility, partly fuelled by the war in Ukraine.

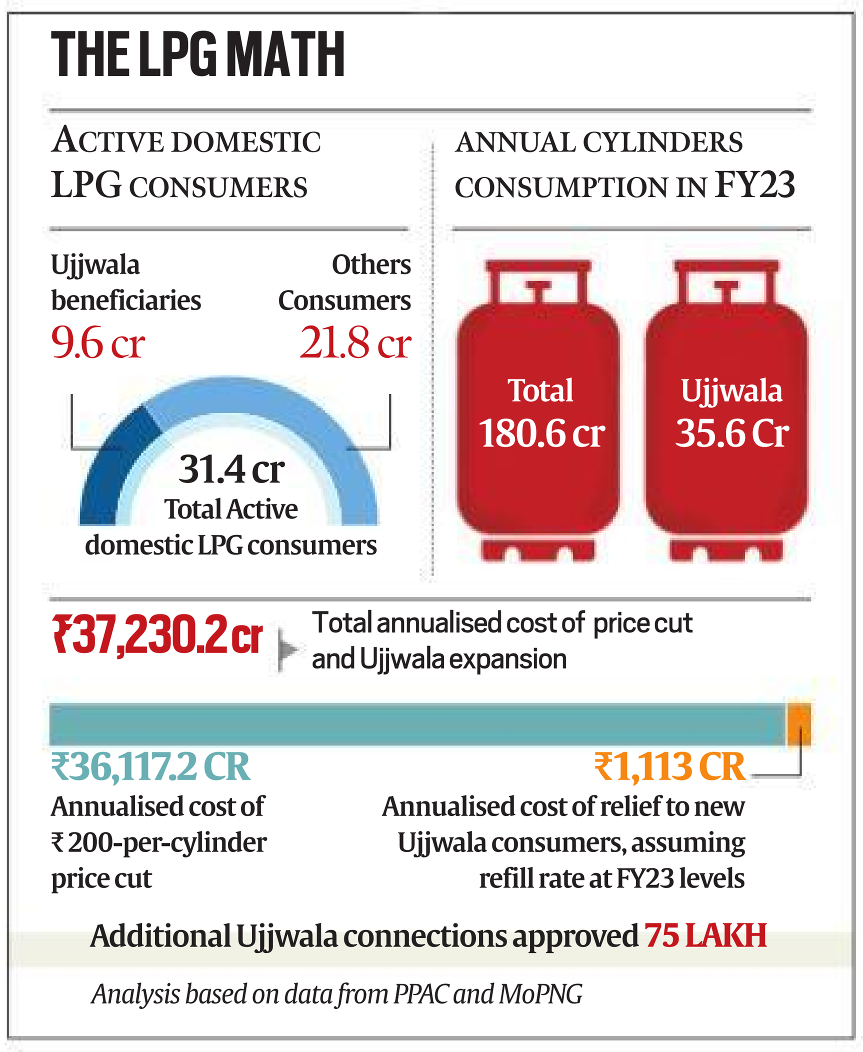

Uday Kotak steps down as MD & CEO of Kotak Mahindra Bank effective September 1

ENS ECONOMIC BUREAU
MUMBAI, SEPTEMBER 2

AFTER BEING at the helm for over two decades, Uday Kotak, 64, has stepped down as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of Kotak Mahindra Bank, effective September 1. He has resigned four months ahead of the end of his current tenure, which is December 31, 2023.

Kotak's resignation was considered at the board meeting held on Saturday, the bank said in a filing to exchanges. He has become a non-executive director of the bank. As an interim arrangement, the bank said, Deepak Gupta, the Joint MD, will carry out the duties of the MD & CEO until December 31, 2023, subject to approval from the Reserve Bank of India (RBI) and the members of the bank.

"I have mulled over this decision for some time and believe this is the right thing for the institution. Although I still have a few months to go, I tender my resignation as MD & CEO of the bank with immediate effect," Kotak wrote in a letter to Prakash Apte, Chairman of the Board of Directors. Kotak said he voluntarily decided to step down as CEO.

"As Founder, I am deeply attached to brand Kotak and will continue to serve the institution as Non-Executive Director and significant shareholder. We have an outstanding management team to carry the legacy forward. Founders go away, but the institution flourishes into perpetuity," Kotak wrote on Twitter.


Uday Kotak. *File*

He said that over the next few months, he is going to be significantly occupied with some personal and family commitments.

"My elder son's marriage functions are being planned. Consequently, considering the proximity of these events to the end of my tenure, I thought it appropriate to hand over the baton and stagger the transition," Kotak wrote in the letter. The bank said it has already made an application to the Reserve Bank of India (RBI) for the approval of the new MD & CEO, with effect from January 1, 2024.

"Succession at Kotak Mahindra Bank has been foremost on my mind, since our Chairman, myself and Joint MD are all required to step down by year end. I am keen to ensure smooth transition by sequencing these departures," Kotak wrote in his social media post.

In 2021, the RBI capped the tenure of MD & CEOs and whole-time directors of private sector lenders at 15 years. As per the regulation, Kotak could not have continued as the MD & CEO post the completion of his current term.

Kotak is the founder and promoter of the bank and has been its MD & CEO since August 1, 2002. Kotak launched Kotak Mahindra Finance in 1985, which became the first non-banking financial company (NBFC) in India to be converted into a commercial bank – Kotak Mahindra Bank in 2003. As per Forbes Billionaires list, Kotak's net worth is $13.3 billion.

"A long time ago, I saw names like JP Morgan and Goldman Sachs dominate the financial world and dreamed of creating such an institution in India. It is with this dream that I started Kotak Mahindra 38 years ago, with 3 employees in a 300 sq ft office in Fort, Mumbai. I have deeply cherished every bit of this memorable journey, living my dream," he wrote on X.

Under Kotak's leadership, Kotak Mahindra group established a presence in various areas of financial services from stock broking, investment banking, car finance, life insurance and mutual funds.

"I stand in a lonely place of being a founder, promoter and significant shareholder of this great institution. It also bears our family name and carries that as its brand. The institution that we have together built stands for purpose, trust and integrity. I am committed as a stakeholder to see this institution sustain and grow," he wrote in the letter to Apte.

FULL REPORT ON www.indianexpress.com

The 'rags to riches to grounding' story of Jet Airways' founder Naresh Goyal

SUKALP SHARMA & GEORGE MATHEW
NEW DELHI/MUMBAI, SEPTEMBER 2



Founder Naresh Goyal (left); Jet Airways aircraft are seen parked on the tarmac in Mumbai airport. *File*

NARESH GOYAL, who was arrested by the Enforcement Directorate late Friday in a money laundering case linked with an alleged fraud of Rs 538 crore with Canara Bank, was once the poster boy of Indian aviation. Goyal, now 74, founded and built Jet Airways into a world class airline, and then oversaw its fall from the skies. And it wasn't just his airline that he shaped. For better or worse, Goyal's fingerprints were all over the direction India's aviation sector took for over two decades, thanks in part to his clout among politicians across party lines and governments.

Born in 1949, Goyal spent his formative years in Punjab, first in Sangrur and then Patiala. A crippling financial crisis engulfed the Goyal household, and in the early 1960s, the family moved to Patiala from Sangrur. In 1967, Goyal started working for Das's travel agency in Delhi, which had become the general sales agent for Lebanese International Airlines. In 1974, Goyal decided to set up his own business, and started Jetair (Private) Limited, providing sales and marketing representation to foreign airlines in India. The company represented some global majors in India, including Air France and Cathay Pacific.

The take-off

The initiation of liberalisation of the Indian economy in the early 1990s came as a watershed moment for Goyal. As the government allowed private airlines to operate scheduled services under its Open Skies Policy, Jet Airways came into existence, and launched commercial operations in May of 1993. It was then backed by Gulf Air and Kuwait Airways, which together held 40 per cent stake in the airline. At the time, a few other domestic airlines--East-West Airlines, Damania Airways, Sahara India Airlines, and ModiLuft--were established. Except for Sahara, which was later rebranded as Air Sahara, the other three airlines disappeared from the Indian aviation map within a few years.

As Jet Airways emerged as the major challenger to government-owned carriers Indian Airlines and Air India, Goyal purportedly made efforts—using his clout and network in the government and among politicians--to ensure that his airline charted a course of rapid growth and outmanoeuvre competitors and upstarts.

Jet Airways had already become the airline of choice for Indians, offering world-class service that put it way ahead of Indian Airlines and Air India in the eyes of flyers. The next few years saw Jet Airways going international and rapidly expanding its domestic market share. It had a rather successful IPO in 2005 and was the market leader on most counts. While Jet Airways was on the ascent and government-owned airlines were losing ground, new entrants were emerging in India's aviation space. Low-cost carriers like Air Deccan, SpiceJet, IndiGo, and GoAir (later rebranded to Go First), and Vijay Mallya's flamboyant Kingfisher Airlines were beginning to change the contours of Indian aviation.

EXPLAINED E.

Turbulence troubles

Perhaps these developments forced Goyal's hand in acquiring Air Sahara in 2007 for over Rs 2,200 crore, a valuation that many believed was quite rich. Costs were also piling up for Jet Airways on the international operations front. The airline had ordered nearly two dozen wide-body aircraft from Boeing and Airbus and was applying for international routes at a rapid pace, but without having in-house expertise and inadequate personnel training for operating long-haul flights.

At the same time, fare wars began among Indian airlines as low-cost carriers gained ground. To make matters worse, global oil prices shot up in 2008 and the year later saw the world slipping into a financial crisis, both of which had a significant impact on the aviation and travel sectors in various parts of the world. The surge in oil prices was a major headache as along with oil, jet fuel prices had skyrocketed. Jet fuel usually accounts for over 40 per cent of an airline's operational costs. The financial crisis had hit demand for air travel. Under pressure from low-cost carriers and grappling with a difficult operating and economic environment, full-service carriers Jet Airways and Kingfisher Airlines borrowed heavily. In 2012, Kingfisher had to shut shop. Jet Airways, too, was not in great financial health and was scouting for funds and investors. Interestingly, the airline got a lifeline of sorts with the government changing its FDI policy to allow foreign airlines to own up to 49 per cent stake in Indian carriers.

FULL REPORT ON www.indianexpress.com

Centre asks states to form logistics policy

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

THE CENTRE has asked states to formulate logistics policy as it would help promote ease of doing business, the commerce and industry ministry said on Saturday.

It was also suggested to the states for integrating quality data on the portal for the state master plan for wider adoption of PM GatiShakti initiative.

The initiative helps in proper planning and implementation of infrastructure projects.

These issues were discussed in a meeting called by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) on August 31 to promote wider adoption of PM GatiShakti National Master Plan (NMP).

It was chaired by Special Secretary in the DPIIT Sumita Dawra.

So far, 22 states have notified their logistics policies.

Canada pauses negotiations on trade agreement with India, says official

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

IN AN unexpected move, Canada has paused negotiations for a free trade agreement with India and now both countries will mutually decide on resuming the talks in the future, an official said.

"The Canadian side conveyed that they were taking a pause in India-Canada negotiations on the Early Progress Trade Agreement. This will enable us both to take stock of progress and next steps. We will decide by mutual agreement when negotiations will resume," the official told *PTI*.

However, the official did not provide more details about the issue. The development assumes significance as Canadian Prime Minister Justin Trudeau will be here next week to attend the G20 Summit on September 9-10. Over half a dozen rounds of talks have been held between the countries on the trade pact so far.

In March last year, the two countries re-launched negotiations for an interim agreement, officially dubbed as Early Progress Trade Agreement (EPTA).

In such agreements, two countries significantly reduce or eliminate customs duties on the maximum number of goods traded between them. They also liberalise norms for promoting trade in services and attract investments.

Indian industry was looking at duty-free access for products like textiles and leather besides easy visa norms for the movement of professionals.

ड्यूरोपैक लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1986PLC025835
(फ्लेक्सबल लैमिनेट्स पाउचेस और होलोग्राफिक उत्पादों के विनिर्माता)
प्रशासनिक कार्यालयः बी–4/160, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 (भारत)
फोनः 011–26181611, 41359339,
ई–मेलः info@duropackindia.com, वेबसाइटः www.duropackindia.com

35वीं वार्षिक आम बैठक और रिकॉर्ड तिथि के बारे में जानकारी

1. कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम ("अधिनियम") के सभी लागू प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता नियम") के साथ सामान्य परिपत्र परिपत्र संख्या 20 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 17 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, इसके बाद सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर" के रूप में जाना जाता है) ने एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है, तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के साथ पठित 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 ("सेबी परिपत्र") के परिपत्र और अन्य लागू परिपत्र (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 10:00 बजे ") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो–विजुअल साधन ("ओवीएएम") के माध्यम से,एजीएम बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी।
2. प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न होने वाले आवश्यक अन्य दस्तावेजों को कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिसके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट www.duropackindia.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।
3. ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने की विधि :
(क) भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी को cs@duropackindia.com पर या मेसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति) के विवरण के साथ rta@akhipra.com पर ईमेल लिखकर इसे पंजीकृत/अपडेट करें।
(ख) यदि शेयर डीमैट प्रारूप में रखे गए हैं, तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंक लाभार्थी आईडी), शेयरधारक का नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) , आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को cs@duropackindia.com पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड को rta@abhipra.com पर भेजें।
4. ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः
(क) सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई–वोटिंग") के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।
(ख) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकेंगे। वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने का तरीका, भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाएगा।
(ग) डीमैटरियलाइज्ड प्रारूप में , फिजिकल प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका ('रिमोट ई–वोटिंग') एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाएगा।
5. एजीएम के लिए बुक क्लोजर/रिकॉर्ड तिथिः
इस सम्बन्ध में यह भी नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सूचिबद्धता नियमों के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शनिवार, 30 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी टिप्पणियां और एजीएम में शामिल होने के निर्देशों, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

ड्यूरोपैक लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से और उसके लिए
हस्ता /–
विवेक जैन
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 01753065

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 सितंबर, 2023

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

रेल विकास निगम लिमिटेड

'एक नवरत्न सीपीएसई'
पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली – 110066 ईमेलः investors@rvnl.org, वेबसाइट : www.rvnl.org सीआईएनः L74999DL2003GOI118633, फोन नंबर.: 011-26738299, फैक्सः 011-26182957

20वीं वार्षिक आम बैठक, बही बंदी अवधि और ई–वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की **20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम),** एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यापारों का लेन–देन के लिए **बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को अप.11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम")** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी क्रमांक 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (एमसीए परिपत्र) और सेबी परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 (सामूहिक रूप से परिपत्र कहा जाता है) के अनुपालन में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी गई है। जिनके पते कंपनी,/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइटः **www.rvnl.org** पर **'निवेशक'** अनुभाग और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं। सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल") की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।

एतदद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां **वीरवार 21 सितंबर, 2023 से बुधवार 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक बंद रहेंगी। यदि एजीएम में निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है, तो एजीएम के समापन से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम भौतिक शेयरों के संबंध में और कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। और शेयरों के "लाभार्थी मालिकों" को डीमैटरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में जिनके नाम **बुधवार 20 सितंबर, 2023** को कारोबार के घंटों की समाप्ति के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभकारी स्वामित्व के विवरण में उपलब्ध होते हैं, उन सदस्य को भुगतान किया जाएगा। लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर (टीडीएस) पर लागू दरों पर कटौती के अधीन होगा। टीडीएस से छूट के लिए विवरण और दस्तावेज ऑनलाइन **www.rvnl.org सोमवार 25 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे** भारतीय मानक समय तक अपलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया एजीएम की सूचना देखें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, और एमसीए परिपत्र के अनुसार, सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है।

अतः सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. **रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार 24 सितंबर, 2023 (सुबह 09.00 बजे भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और मंगलवार 26 सितंबर, 2023 (शाम 05.00 बजे भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी।** इसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सुविधा को तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
2. रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि **बुधवार 20 सितंबर, 2023 होगी।** रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान, कट–ऑफ तिथि अर्थात **बुधवार 20 सितंबर, 2023** को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना इलेक्ट्रानिक रूप में भेजने के बाद और कट–ऑफ तिथि **बुधवार 20 सितंबर, 2023,** से पहले शेयर हासिल कर कंपनी का सदस्य बनता है, तो वह कंपनी के आरटीए, (अलंकित) से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्य एजीएम की सूचना में उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए **www.evotingindia.com** पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला था और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वर्जित नहीं किया गया है, तो उन्हें इस एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की पात्रता होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं ,/ भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
5. कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की सेवाएं ली हैं। मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
6. प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम कंपनी की एजीएम के समापन के 48 घंटों के भीतर घोषित किए जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में मुद्रित ई–वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप **https://www.cdslindia.com** के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग प्रयोक्ता पुस्तिका देख सकते हैं या **टोल फ्री नंबर : 1800–22–55–33 पर कॉल कर सकते हैं या श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, (सीडीएसएल) के पास helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

कृते रेल विकास निगम लिमिटेड
ह./–
कल्पना दूबे
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 02 सितम्बर, 2023

सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 365, वर्धमान प्लाजा, तृतीय तल, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, सीआईएनः L51221DL1985PLC022433, फोनः 011–49091417
ई–मेलः sonalmercantile@yahoo.in, वेबसाइटः www.sonalmercantile.in

38वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सदस्यों को सूचना

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे भारतीय समयानुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम के नोटिस में बताए गए व्यवसाय को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है।
वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिन्होंने उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत किया है। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.sonalmercantile.in, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एसएसडीएल) www.evoting.nsdl.com, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकें (एसएस–2) पर सचिवीय मानकों के अनुपालन में, सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई–वोटिंग') का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है।
23 सितंबर, 2023 की कट–ऑफ तारीख तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ई–वोटिंग के हकदार होंगे। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। यदि शेयरधारकों ने डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/आरटीए अर्थात स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से www-skylinerta.com पर और कंपनी से sonalmercantile@yahoo.in पर संपर्क करके ई–मेल आईडी अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट देखें। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर रविवार, 24 सितंबर 2023 से शनिवार, 30 सितंबर 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

1)	रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि	शनिवार, 23 सितम्बर 2023
2)	रिमोट ई–वोटिंग शुरू होने का दिन, तारीख और समय	बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (सुबह 9:00 बजे भारतीय समयानुसार)
3)	रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति का दिन, तारीख और समय	शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 (शाम 5:00 बजे भारतीय समयानुसार)

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए कृपया एजीएम का नोटिस देखें।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देखें या टोल फ्री नं.: 022– 4886 7000 और 022–2499 7000 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

कृते सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड
हस्ता /–
अक्षय खरे
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 सितंबर, 2023

प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

सीआईएन नंबरः L32104DL1979PLC009590
पंजीकृत कार्यालयः डी–1081, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली – 110025
ईमेलः cs@pel-india.in, वेबसाइटः www.pel-india.in,
फोनः 120 2551556/7, फैक्सः 120 2524337

44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना रिमोट ई–वोटिंग सूचना

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है किः

1. कोविड 19 के प्रकोप के कारण एमसीए ने सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28.12.2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से और सेबी ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के माध्यम से ''वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग'' द्वारा एजीएम आयोजित करने या साधारण/विशेष संकल्प पारित करने की समयावधि 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी है। इस प्रकार आगामी एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (संशोधित) के नियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 के अनुसार कंपनी एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक समझौता किया है। किसी सदस्य द्वारा रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा के साथ–साथ एजीएम की तारीख पर स्थल पर वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
2. एजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का लिंक उन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और कंपनी 'स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in पर भी उपलब्ध है। वार्षिक रिपोर्ट के लिंक के साथ एजीएम की सूचना का ई–मेल 30 अगस्त, 2023 को पूरा हो चुका है।
3. 16 सितंबर, 2023 की कट–ऑफ तारीख तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः
4. एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता हैः
I. रिमोट ई–वोटिंग 19 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी।
II. रिमोट ई–वोटिंग 25 सितंबर 2023 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी।
5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर, 2023 है।
6. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और संबंधित सदस्यों को ई–मेल भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कटऑफ तिथि यानी 16 सितंबर, 2023 तक शेयर धारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या compliances@skylinerta.com पर ईमेल करके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) से संपर्क करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है;
7. जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को लिखकर इसे मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत करें जैसा कि एजीएम के नोटिस में दिया गया है।
8. सदस्य ध्यान दें किः क) वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी; और ग) सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और घ) वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा;
9. एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है; और
10. किसी पूछताछ के मामले में, सदस्य https://www.evoting.nsdl.co के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध (Frequently Asked Questions) (FAQs) for members तथा e-voting user manual for members का सन्दर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 22 2990 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहायक मैनेजर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in पर संपर्क करें या टेलीफोन नंबरः– +91 22 24994545, +91 22 24994559 पर संपर्क करें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगे। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते cs@pel-india.in या पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते हैं।
11. बुक क्लोजर
12. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें 19 सितंबर, 2023 से 25 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए
वृंदा मोहन गुप्ता
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

स्थानः नोएडा
दिनांकः 02 सितंबर, 2023

पंजीकृत कार्यालय का पताः
कमरा नंबर 144, सी-विंग,
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली 110001
CIN: L70101DL2005GOI132162
वेबसाइटः www.hpil.co.in
ईमेलः info@hpil.co.in

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी),वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों से (ओएवीएम) नोटिस में बताए अनुसार व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से, एमसीए/सेबी के अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ सेबी ने 5 जनवरी, 2023 के परिपत्र के माध्यम से, सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी।
सेबी परिपत्रों के अनुपालन में ,वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण, उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 01 सितंबर,2023 को पूरा हो गया है, जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत है। इसके अलावा, एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hpil.co.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड यानी, www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी उन सभी पात्र सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा एजीएम में लेनदेन की जाने वाली सभी विषयों के संबंध में एनएसडीएल के माध्यम से ई–वोटिंग सुविधा (रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के समय वोटिंग दोनों) की पेशकश करने में प्रसन्न है, जिनके नाम बुधवार, 20 सितंबर, 2023 (कट–ऑफ तिथि) को सदस्यों के रजिस्टर (भौतिक रूप में होल्डिंग) में या डिपॉजिटरीज़ (इलेक्ट्रॉनिक रूप में होल्डिंग) द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं।
रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार, 24 सितंबर, 2023 (9:00 पूर्वाह्न आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी और सदस्यों को उसके बाद मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एनएसडीएल लॉगिन पोर्टल का उपयोग करके एजीएम के दौरान वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
इसके अलावा, जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन बाद में इसे बदलना या एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति जिसका ई–मेल कंपनी/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है या जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह info@hpil.co.in एक प्रति चिन्हित करने के साथ evoting@nsdlco.in पर अनुरोध भेजकर ई–वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। कंपनी ने एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स राहुल चौधरी एंड एसोसिएट्स के सीएस राहुल चौधरी (एसीएस 54713) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।
किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध देख सकते हैं या 19वीं एजीएम के नोटिस में उल्लिखित निर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं या 022–4886 7000 और 022–2499 7000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से paliavid@nsdlco.in पर संपर्क करें।

कृते हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
हस्ता/–
लुबना
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 01.09.2023
स्थानः नई दिल्ली

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HeroHousing Finance

संपर्क पताः– भवन संख्या 27, दूसरी मंजिल, सामुदायिक केंद्र, बसंतलोक, वसंत विहार, नई दिल्ली– 110057
पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com
वेबसाइटः www.herohousingfinance.com, सीआईएनः U65192DL2016PLC30148

मांग नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

चूंकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर यहां सूचीबद्ध ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एक साथ या एक साथ "बाध्यकारी" के रूप में संदर्भित)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित मांग नोटिस/सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने का आह्वान करते हैं। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रदान की गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वाधिकारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।
उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त दायित्वाधिकारियों (यों) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई संबंधित तारीखों से नीचे दिए गए ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के साथ नीचे दी गई राशि, कॉलम (डी) में भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ पढ़ें, यदि कोई, उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा निष्पादित गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूति आस्तियों को क्रमशः उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता संख्याः	दायित्वाधिकारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु. में	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
HHFDELHOU 20000010735	संजय कुमार, हजारी लाल की पत्नी रेनू	22–अगस्त–2023 तक रु. 7,87,180/–	28–अगस्त–2023	04–अगस्त–2023

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों /अचल संपत्तियों/गिरवी संपत्तियों का विवरणः गांव–मटियाला के क्षेत्र में और कॉलोनी, जिसे नन्हे पार्क के नाम से जाना जाता है, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित निर्मित तीसरी मंजिल (पिछली सड़क या दक्षिण–पश्चिम दिशा से तीसरी) छत/छज्जा अधिकार के साथ ,प्राइवेट सं. 308, उपरोक्त संपत्ति की संख्या 3,4 और 5 के भाग के 40 वर्ग गज क्षेत्रफल में, ब्लॉक–बी खसरा संख्या 17/13 में से, भूतल पर एक दो –व्हीलर पार्किंग स्थल के साथ प्रवेश/द्वार, सीढ़ी मार्ग, लिफ्ट और अन्य सभी सामान्य सुविधाओं का उपयोग करने के सामान्य अधिकारों के साथ, उक्त संपत्ति के तहत भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार। सीमाबद्धः उत्तरः उक्त संपत्ति का मार्ग/भाग पूर्वः प्रा. मंजिल संख्या 306, दक्षिणः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः प्रा. मंजिल नंबर 309

* ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कथित दर पर अतिरिक्त ब्याज,आगे ब्याज के साथ, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (यों)/ अचल संपत्ति (संपत्तियों) के खिलाफ और परिणामों के संबंध में उक्त दायित्वाधिकारी (यों)/कानूनी वारिसों के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के जोखिम पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। उक्त बाध्यताकारियों/ कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (यों) को उक्त अधिनियम के तहत एचएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांकः 03–सितंबर–2023,
स्थानः दिल्ली

हस्ता / –अधिकृत अधिकारी,
कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

जीकेएन ड्राइवलाइन (इंडिया) लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 270, सैक्टर–24, फरीदाबाद, हरियाणा–121005
CIN: U74999HR1985PLC034079
फोनः +91(129) 6621300, फैक्सः +91 (129) 6621349
ई–मेलः gdi.stakeholder@gknautomotive.com

38वीं वार्षिक साधारण बैठक एवं ई–वोटिंग की सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक साधारण बैठक सूचना में लिखित व्यवसाय के निष्पादन हेतु कंपनी की 38वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को प्रातः 11:00 बजे प्लॉट नं. 270, सैक्टर–24, फरीदाबाद–121005, हरियाणा में आयोजित की जाएगी। कंपनी ने 2022–2023 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन सदस्यों को भेज दी है जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरीज/आरटीए के पास पंजीकृत है और स्वीकार्य पद्धति के माध्यम से सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजने का कार्य शनिवार, 02 सितम्बर, 2023 को पूर्ण कर लिया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों को सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी भी स्थान से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने (रिमोट ई–वोटिंग) की सुविधा प्रदान की गई है जिसके लिए कंपनी ने ई–वोटिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) को सेवा प्रदाता नियुक्त किया है। रिमोट ई–वोटिंग 24 सितम्बर, 2023 (प्रातः 9:00 बजे) (रविवार) को प्रारंभ होगी और 26 सितम्बर, 2023 (सायं 5:00 बजे) (मंगलवार) बंद होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के जिन सदस्यों के पास अंतिम तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2023 को भौतिक प्रारूप या डिमैटेरिलाइज्ड प्रारूप में कंपनी के शेयर हैं, वह अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा दिया जाएगा और कथित तिथि व समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई–वोटिंग से अपना वोट देने वाले सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर हैं और वह सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी की सदस्य बनता है तथा अंतिम तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2023 को शेयर धारण करता है, तो वह evoting@nsdl.co.in या Issuer/RTA पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

यद्यपि, यदि आप रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं तो वोट देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए है तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "फार्गेट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड" विकल्प का उपयोग कर अपना पासवर्ड दोबारा प्राप्त कर सकते हैं या एनएसडीएल के टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर कॉल कर सकते हैं।

सदस्यगण, जिन्होंने ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वह एजीएम में अपना वोट दे सकते हैं। सदस्यों को एजीएम में बैलेट के माध्यम से अपना वोट देना होगा। वह व्यक्ति, जिनका डिपॉजिटरीज़ द्वारा बनाए गए सदस्यों की पंजिका या लाभार्थी स्वामी की पंजिका में अंतिम तिथि को नाम दर्ज होगा, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही साथ वार्षिक साधारण बैठक में अपना वोट देने के पात्र होंगे।

ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए कृपया श्री हरीश बंसल, सहायक प्रबंधक, जीकेएन ड्राइवलाइन (इंडिया) लिमिटेड, प्लॉट नं. 270, सैक्टर–24, फरीदाबाद–121005, हरियाणा, ई–मेल. gdi.stakeholder@gknautomotive.com, टेलीफोन नं. +91–129–6621305 से सम्पर्क करें।

एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते जीकेएन ड्राइवलाइन (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता./–
ऋचा पोरवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस–8318

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 03 सितम्बर, 2023

क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, भूखंड सं. 23, 5वां तल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008

निजी संधि के माध्यम से विक्रय की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) के अंतर्गत इक्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास प्रभारित चल एवं अचल परिसंपत्तियों का विक्रय।

क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अतः यह "क्लिक्स" के रूप में विदित होगा) के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अनुसूचीगत संपत्ति(यों) का अधिग्रहण कर लिया है। अतः जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखितानुसार प्रतिभूत संपत्ति(यों), क्लिक्स की बकाया राशियों की वसूली के लिये क्लिक्स के अनुसार अनुबंधयोग्य निबंधनों के अनुसार "जैसी है जहां है आधार" तथा "जैसी है जो है आधार" तथा "बिना संसाधन आधार" पर निजी संधि के माध्यम से विक्रय के लिये उपलब्ध हैं।

क्रम सं.	सम्पत्ति के स्वामी (टाइटल डीड धारक का नाम/मांग सूचना राशि)	सम्पत्ति का विवरण	ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि भुगतान (रु.)
1.	मुकेश कुमार, 2. राज वाला शर्मा, दोनों निवासीः 469 ई, दुर्गा गली, छज्जूपुर ईस्ट बाबरपुर, नई दिल्ली–110032 ऋण सं.: एसी2019052192970 बकाया राशिः रु. 25,89,307.09/– (के साथ 22.12.2021 से ऋण राशि की सम्पूर्ण वसूली तक आगे का ब्याज एवं उपचयित चार्जेज)	नीचे की भूमि में अविभाजित आनुपातिक फ्री होल्ड अधिकारों के साथ गली नं. 5, ईस्ट रोहताश नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 की आबादी में ग्राम सिकदरपुर में छत तथा अंतिम मंजिल तक उपयोग एवं निर्माण अधिकारों के साथ तीसरे तल पर निर्मित सम्पत्ति, एरिया माप 75 वर्ग याईस अर्थात् 62.71 वर्ग मी., साइट के अनुसार निर्मित, सीढ़ियों, पैसेज, प्रवेश एक टू व्हीलर पार्किंग तथा एवं अन्य सामूहिक सुविधाओं के साथ, सम्पत्ति सं. 1/6562, खसरा नं. 678/310 एवं 679/310 में शामिल, का सभी भाग तथा हिस्सा।	जैसा है जहाँ है आधार पर	रु. 1100000/–	रु. 110000/–

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति के विक्रयार्थ मानक नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं :
(1.) निजी संधि के माध्यम से विक्रय "जैसी है जहां है आधार" तथा "जैसी है जो है आधार" तथा "बिना संसाधन आधार" पर होगा। (2.) क्रेता को विक्रय प्रतिफल का 25 प्रतिशत संपत्ति के क्रयार्थ क्लिक्स की स्वीकृति के प्रस्ताव की प्राप्ति के अगले कार्यदिवस को जमा करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान इसके बाद 15 दिनों के अंदर करना जाएगा। ईएमडी राशि, एनईएफटी / आरटीजीएस / फंड ट्रांसफर के माध्यम से "एटीटी–क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड", बैंक का नाम – आईसीआईसीआई बैंक, आईएफएससी कोड – आईसीआईसी0003419, बैंक खाता सं. – 341905000653 के पक्ष में प्रेषित की जाएगी। (3.) क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि की 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार की जानेवाली जमा राशि के 25 प्रतिशत के समक्ष समायोजित किया जाएगा। (4.) उपरोक्त खंड (2) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार राशि प्रेषित करने में विफल होने पर, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि की 10 प्रतिशत राशि सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। (5.) क्लिक्स द्वारा क्रय के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10 प्रतिशत राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। (6.) संपत्ति को, क्लिक्स को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी समस्त विद्यमान एवं भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी प्रकार किसी तृतीय–पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। (7.) क्रेता को संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से विक्रय के अंतर्गत रखी गयी) से संबंधित समस्त पहलुओं पर अपनी संतुष्टि के अनुसार जांच–पड़ताल कर लेनी चाहिये। क्रेता इस संबंध में बाद की किसी तिथि में प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता के विरुद्ध कोई भी दावा करने का अधिकारी नहीं होगा। (8.) क्लिक्स के पास बिना कोई कारण प्रदर्शित किये क्रय के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। (9.) एक से अधिक प्रस्ताव की स्थिति में, क्लिक्स सर्वोच्च प्रस्ताव स्वीकार करेगी। यदि सर्वोच्च बोलीदाता उपरोक्त खंड (2) के निबंधनों के अंतर्गत शेष राशि जमा करने में विफल रहता है तो क्लिक्स द्वितीय उच्च प्रस्ताव का अनुरोध कर सकती है तथा उसे स्वीकार कर सकती है। (10.) इच्छुक पार्टियां, अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिक जानकारी/स्पष्टीकरणों हेतु प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। (11.) क्रेता को संपत्ति के क्रय के संबंध में सभी स्टाप शुल्कों, पंजीकरण शुल्कों एवं अन्य व्ययों, करों, शुल्कों, उप–शुल्कों का भुगतान वहन करना होगा। (12.) विक्रय, सरफॉएसि अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार होगा। (13.) नीलामी एजेंसी : सी1 इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, संपर्क व्यक्ति : विनोद चौहान, 9813887931, मेल आईडी : delhi@c1india.com, वेबसाइट : https://www.bankeauctions.com

दिनांक : 03–09–2023, स्थान : दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

HDB FINANCIAL SERVICES

कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिनकोड–380009 शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001

जैसा कि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) कहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सूचना में उल्लिखित राशि तथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी। कथित कर्जदार/सह–कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह–कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का उसके साथ उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को अतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन–देन सम्बद्ध तिथि से भावी ब्याज, लागत तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतियों का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, प्रतिभूति का विवरण, माँग सूचना की तिथि, दावाकृत राशि; कब्जा करने की तिथि नीचे दी गयी है :

1) ~~कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता;~~ 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) माँग सूचना की तिथि; 6) दावाकृत राशि रु. में; 7) कब्जा करने की तिथि

1. **कर्जदार और सह–कर्जदारों का नामः** सुश्री हरि राम बिश्नोई, गीता देवी बिश्नोई, राजेश कुमार बिश्नोई, और हरि राम बिश्नोई सभी निवासीः 37 पुरानी शिव बारी रोड गली नंबर 8 अंबेडकर कॉलोनी बीकानेर – 334001: और सभी साथ ही – खसरा नंबर 178 गली नंबर 8 अंबेडकर कॉलोनी शिव बाड़ी बीकानेर, और सभी साथ ही : गली नंबर 8 अंबेडकर कॉलोनी 178, मिन, शिव बाड़ी बीकानेर एचओ – 334001 ऋण खाता नंबर 6197806, 1523470, 734153; ऋण राशिः ऋण संख्या 6197806 के तहत रु. 2720987/– (रुपये सत्ताईस लाख बीस हजार नौ सौ सत्तासी मात्र) और ऋण संख्या 1523470 के तहत रु. 1106464/– (रुपये ग्यारह लाख छः हजार चार सौ चौसठ मात्र) एवं ऋण संख्या 734153 के तहत रू. 2075657/– (रुपये बीस लाख पचहत्तर हजार छः सौ सत्तावन मात्र); मांग सूचना दिनांकः 15.05.2023 ; दावा की गई राशिः 11.05.2023 तक रु. 5124924/– (शब्दों में रुपये इक्यावन लाख चौबीस हजार नौ सौ चौबीस मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, प्रतिभूति का विवरणः : 1951.25 वर्ग फीट (216.80 वर्ग गज) की संपत्ति का समस्त भाग, अंबेडकर कॉलोनी, गली नंबर –8, बीकानेर में स्थित, संपत्ति गीता देवी पत्नी हरि राम के नाम पर है, जो बिक्री विलेख क्रमांक 2009008977 दिनांक 15/07/ के अनुसार 2009, पुस्तक संख्या 1, खंड क्रमांक 1179 पृष्ठ संख्या 177 पर पंजीकृत है। कब्जे की तिथिः 29.08.2023।
2. **कर्जदार और सह–कर्जदारों का नामः** पंडित जी थड़ी और शर्मा किराना स्टोर, बबली शर्मा और कपिल शर्मा, सभी निवासीः प्लॉट नंबर 52 बसंत विहार निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान–302012 और सभी साथ ही: 32 लक्ष्मण रेखा विस्तार निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर –302012, और सभी का पताः दुकान नंबर 22 लक्ष्मण रेखा विस्तार निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर–302012 ऋण खाता नंबर 4099825, 8209501, 15565675; ऋण राशिः ऋण संख्या 4099825 के तहत रु. 2200000/– (रुपये बाईस लाख मात्र) और ऋण संख्या 8209501 के तहत रु. 655602/– (रुपये छः लाख पचपन हजार छः सौ दो मात्र) और ऋण संख्या 15565675 के तहत रु. 549000/ – (रुपये पांच लाख उनचास हजार मात्र); मांग सूचना दिनांकः 15.04.2023; दावा की गई राशिः 13.04.2023 को रु. 3264919 (शब्दों में रुपये बत्तीस लाख चौसठ हजार नौ सौ उन्नीस मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ; प्रतिभूति का विवरणः: प्लॉट नंबर 52, बसंत विहार कॉलोनी, निवारू रोड जयपुर 302012 में स्थित संपत्ति का समस्त भाग, भूमि/प्लॉट/दुकान का क्षेत्रफल – 152.20 वर्ग गज, पूर्व – सड़क 30 फीट, पश्चिम – प्लॉट नंबर 55, उत्तर – प्लॉट नंबर 52 – बी, दक्षिण – प्लॉट नंबर 52 – ए, कब्जे की तारीखः 28.08.2023
3. **कर्जदार एवं सह–कर्जदार का नामः** ललित क्लॉथ एंड मैचिंग सेंटर, नंदू बाई बैरवा, देवीलाल बैरवा और लोकेंद्र कुमार बैरवा, सभी का पताः ई 57 आजाद नगर भीलवाड़ा एचओ–311001 राजस्थान और साथ ही सभी का पताः कोटड़ी भीलवाड़ा एचओ–311001 राजस्थान और साथ ही सभी का पताः प्लॉट नंबर ई116/1 अराजी नंबर 3650/3082 आजाद नगर भीलवाड़ा एचओ–311001 ऋण खाता नंबर 16372605,10492580; ऋण राशिः ऋण संख्या 16372605 के तहत रु. 398000/– (रुपये तीन लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) और ऋण संख्या 10492580 के तहत रु. 2000000/– (रुपये बीस लाख मात्र); मांग सूचना दिनांकः 15.04.2023 ; दावा की गई राशिः 13.04.2023 को रु. 2118356/– (शब्दों में रुपये इक्कीस लाख अठारह हजार तीन सौ छप्पन मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज; प्रतिभूति का विवरण :: संपत्ति प्लॉट नंबर ई–116/1 का समस्त भाग, माप 133.33 वर्ग गज, आजाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान में स्थित, संपत्ति श्री देबी लाल पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाब चंद भैरवा के नाम पर है, लीज डीड संख्या 2014003741 दिनांक 19/03/2014 के अनुसार पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 731, पृष्ठ 119 से 134 पर पंजीकृत, सीमाबद्धः पूर्व–सड़क –माप 20 फीट, पश्चिम : प्लॉट नंबर ई–111, उत्तर–प्लॉट नंबर 116, दक्षिणः प्लॉट नंबर 117, कब्जे की तारीखः 28.08.2023
4. **कर्जदार और सह–कर्जदारों का नामः** सुश्री लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, रुकमा देवी, नरसिंह और लक्ष्मी देवी, सभी का पताः 64 सुभाष नगर ए, पाली–306401 राजस्थान और साथ ही सभी का पताः 113 सुभाष नगर ए, पाली एचओ–306401 राजस्थान, ऋण खाता क्रमांक 15863200,7020540; ऋण राशिः ऋण संख्या 15863200 के तहत रु. 398000/– (रुपये तीन लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) और ऋण संख्या 7020540 के तहत रु. 2000000/– (रुपये बीस लाख मात्र); मांग सूचना दिनांकः 15.04.2023; दावा की गई राशिः 13.04.2023 को रु. 2373940 (शब्दों में रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ चालीस मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ; प्रतिभूति का विवरणः: संपत्ति माप पट्टा संख्या 3712 का समस्त भाग, माप 250 वर्ग गज, सुभाष नगरपाली राजस्थान में स्थित, पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 29 पृष्ठ संख्या 33–34 दस्तावेज संख्या 1017 दिनांक 26–10–1974 को पंजीकृत दस्तावेजों के अनुसार श्रीमती रुकमा देवी के नाम पर पंजीकृत है संपत्ति की सीमा इस प्रकार हैः– उत्तर–अन्य प्लॉट, दक्षिण–सड़क, पूर्व–अन्य घर, पश्चिम–अन्य प्लॉट, कब्जे की तिथिः 31.08.2023
5. **कर्जदार और सह–कर्जदारों का नामः** मैसर्स तारा चंद जैन, तारा चंद जैन और पुष्पादेवी जैन, सभी का पताः एएमसी नंबर 31 (4) ई/12 बैंक कॉलोनी नाकामदार अजमेर तहसील और जिला अजमेर 305001 और सभी का पताः महावीर मार्केट मादर गेट अजमेर राजस्थान – 305001: ऋण खाता संख्या 1369171; ऋण राशिः रु. 2627059/– (रुपये छब्बीस लाख सत्ताईस हजार उनसठ मात्र); मांग सूचना दिनांकः 15.04.2023; दावा की गई राशिः 13.04.2022 तक रु. 2066467/– (शब्दों में रुपये बीस लाख छियासठ हजार चार सौ सड़सठ मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, जिसमें आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि शामिल हैं; प्रतिभूति का विवरणः: संपत्ति प्लॉट एएमसी नंबर 31 (4) का हिस्सा पर स्थित का समस्त भाग, ई/12 बैंक कॉलोनी नाका मादर/इमर, तहसील और जिला–अजमेर माप क्षेत्रफल 107.69 वर्ग गज, पूर्व –सुधीर कुमार आर्य का घर, पश्चिम –20' चौड़ी सड़क, उत्तर –श्री जैन की संपत्ति, दक्षिण –जितेंद्र या निधि खंडेलवाल का घर। कब्जे की तिथिः 31.08.2023

अतः आप कर्जदारों/सह–कर्जदारों और गारंटरों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित मांग की गई राशि का पूर्ण रूप से भुगतान कर दें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभूतियों को अधिनियम के तहत प्रवर्तित करने के लिए बाध्य होगा।
प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।
किसी भी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री भूपिन्दर सिंह बन्याल, 8360772826 या श्री विकास आनन्द, 9711010384, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड : ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001
स्थान : जयपुर, तिथि : 03.09.2023
ह./– अधिकृत प्राधिकारी, कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,

---

श्याम टेलीकॉम लिमिटेड

सीआईएन : L32202RJ1992PLC017750
पंजीकृत कार्यालय : श्याम हाउस, 3, आम्रपाली सर्कल वैशाली नगर, जयपुर – 302021, राजस्थान, भारत
दूरभाष : 91–141–4025631, **फैक्स :** 91–141–5100310
निगमित कार्यालय : ए – 60, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज – I, नई दिल्ली – 110028
दूरभाष : 91–11–41411071/72, फैक्स : 91–11–25792194
वेबसाइट : www.shyamtelecom.com, **ईमेल :** investors@shyamtelecom.com

30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्याम टेलीकॉम लिमिटेड (''कंपनी'') की 30वीं (तीसवीं) वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को अप. 01.00 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल संसाधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिस बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित लागू प्रावधानों तथा एमसीए जनरल सर्कुलर नंबर 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 जो एमसीए जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020; 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; 20/2020 दिनांक 05 मई 2020; 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021 और 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 (''सूचीबद्धता विनियमावली'') जो कि सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020; 15 जनवरी 2021; 13 मई 2022 एवं 05 जनवरी, 2023 (''सेबी परिपत्र'') के साथ पठित है, के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का, किसी साधारण स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, संचालन किया जायेगा।
उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजी दी गयी है, जिनके नाम शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 को व्यावसायिक घंटे बंद होने के समय पर सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और जिनके ईमेल पते, कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफरएजेंट, इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.shyamtelecom.com** और दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् क्रमशः बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ई–वोटिंग जानकारी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी, एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, एजीएम में संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यवसायों के संदर्भ में निम्नलिखित विधि के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग करने की सुविधा, अपने उन सदस्यों को उपलब्ध करा रही है जो बृहस्पतिवार 21 सितंबर 2023 (कट ऑफ तिथि) के अनुसार अभौतिक अथवा भौतिक प्रारूप में समता अंशों का धारण किये हुये हैं।
रिमोट ई–वोटिंग : रिमोट ई–वोटिंग अवधि का प्रारंभ सोमवार 25 सितंबर 2023 को प्रातः 10.00 बजे होगा तथा समापन बुधवार 27 सितंबर 2023 को सायं 5.00 बजे होगा। उक्त अवधि के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
एजीएम में ई–वोटिंग : रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिये एजीएम में भी उपलब्ध करायी जायेगी, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं डाले हैं तथा जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित हो रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, अभौतिक अथवा भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करने वाले तथा अपने ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं कर पाये सदस्यों द्वारा रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग किये जाने की प्रविधि, ई–वोटिंग के लिये लॉगिन आईडी व पासवर्ड से संबंधित अनुदेश एवं प्रक्रिया का उल्लेखन एजीएम की सूचना में किया गया है।
कोई भी व्यक्ति, जो कि एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरांत कंपनी के अंश उपार्जित करता है तथा कंपनी का एक सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर 2023 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह **evoting@nsdl.co.in** पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप ई–वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपने वोट डालने के लिये अपने विद्यमान प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
ऐसे सदस्यगण जिन्होंने एजीएम की सूचना से पूर्व ही रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल दिये हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु उन्हें एजीएम में पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

ई–मेल पतों को पंजीकृत करने/अद्यतन करने की प्रविधि :
(क) भौतिक रूप में धारित अंश : कृपया पैन और केवाईसी विवरणों को अन्य प्रासंगिक प्रपत्रों और प्रलेखों के साथ विधिवत भरे गये एवं हस्ताक्षरित निर्धारित फॉर्म आईएसआर–1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के साथ जमा करके कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड, जी–65, बाली नगर, नई दिल्ली – 110015 पर **shankar.k@indusinvest.com / priti.g@indusinvest.com** पर ईमेल के द्वारा पंजीकृत करें।
(ख) अभौतिक रूप में धारित अंश : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें।
बही समापन : अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीकरण विनियमावली के विनियम 42 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां, शुक्रवार 22 सितंबर 2023 से लेकर के बृहस्पतिवार 28 सितंबर 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।
सदस्यों से विनती है कि वे रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रविधि तथा एजीएम में उपस्थित होने के लिये निर्धारित अनुदेशों सहित एजीएम की सूचना में नियत समस्त टिप्पणियों/अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण कंपनी के कंपनी सचिव से फोन नंबर 011–41411071 या ईमेल **shyamtelecom.cs@gmail.com** पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल आईडी **shankar.k@indusinvest.com/ rs.kushwaha@indusinvest.com** पर संपर्क कर सकते हैं अथवा 011–47671217/47671214 पर कॉल कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते श्याम टेलीकॉम लिमिटेड
हस्ता./–
कीर्ति केसरवानी
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 सितंबर, 2023